सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 भाद्र, 1937 (श०)

संख्या **628** राँची**,** बुधवार

27 अगस्त, 2015 (ई०)

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

26 अगस्त, 2015

एस०ओ०-66 --**संख्या-०२/श्रमा०का०(असंग०कर्म०सा०सु०अधि०)-०२/२०१४ श्र०नि०-१५४७--**पूर्व में निर्गत एतद संबंधी सभी अधिसूचनाओं को संशोधित करते हुए तथा असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम , २००८ (२००८ का ३३) की धारा-१२ की उपधारा (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल स्वनियोजित कर्मकार के रूप में वैसे व्यक्ति को**,** जो किसी नियोजक के द्वारा नियोजित नहीं है**,** अपितु असंगठित सैक्टर की किसी उप जीविका में स्वयं मासिक रूप में कृषि सहित सभी कार्यों से झारखंड सरकार द्वारा अकुशल श्रेणी के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य तक सकल आय तक अर्जित करता है**,** को अधिनियम के प्रयोजनार्थ स्व नियोजित कर्मकार के रूप में परिभाषित करतें हैं।

२- असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम २००८ (२००८ का ३३) की धारा-२ की उपधारा (ढ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्यपाल "मजदूरी कर्मकार के रूप में वैसे व्यक्ति को, जो झारखंड सरकार द्वारा अकुशल श्रेणी के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के समतुल्य या छः हज़ार रुपये तक औसत मासिक मजदूरी दोनों में जो अधिक हो, प्राप्त करता हो, अधिनियम के प्रयोजनार्थ मजदूर कर्मकार के रूप में परिभाषित करते हैं।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,
बुद्धदेव भगत,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 628—50+200 ।